पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 150/2024 दिनांक- 09.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- कोतवाली

हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास –

वादिनी जयमूर्ति पत्नी शिवकुमार निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी विद्यावती पुत्री राममिलन , ज्ञानती देवी पत्नी राममिलन, अनुराग व अनुपम पुत्रगण राममिलन द्वारा दि. 7.5.24 को आवेदिका के पुत्र अमित चौहान को गाली देते हुए, सामान तोड़ने फोड़ने व फावड़े से सर पर जान से मारने की नियत से प्रहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 273/2024 धारा 323/307/504/506/427/34 भादवि दिनांक 08.05.2024 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 9.5.24 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दुबे, म0कां0 शिल्पा तिवारी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता 1. ध्यान्ती उर्फ ज्ञानती पत्नी राममिलन उम्र 40 वर्ष, 2. विद्यावती पुत्री राममिलन निवासीगण हाफिजपुर गल्ला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को समय 9.05 बजे ग्राम हाफिजपुर गल्ला थाना कोतवाली आजमगढ़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त 3 डण्डा, 1 फावड़ा, 2 ईंट के टूकड़े बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 273/24 धारा 323,307,504,506,427,336,34 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ध्यान्ती उर्फ ज्ञानती पत्नी राममिलन उम्र 40 वर्ष, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. विद्यावती पुत्री राममिलन निवासीगण हाफिजपुर गल्ला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण: 3 डण्डा, 1 फावड़ा, 2 ईंट के टूकड़े

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दुबे , म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

1. दिनांक 23.04.2024 को वादिनी मुकदमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 29 424 को समय 5:00 बजे विपक्षी सोनू राजभर पुत्र कि राजभर ग्राम विजयपुर थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/2023 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक 09.05.2024 को उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू राजभर उर्फ प्रकाश पुत्र केरा राजभर सा0 विजईपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ को बेलइसा तिराहे से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 116/2024 धारा 363/36/376 भा0द0वि0 व 4(2) पाक्सों एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-सोनू राजभर उर्फ प्रकाश पुत्र केरा राजभर सा0 विजईपुर थाना मेहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 गोपाल जी, कां0 सज्जन सिंह, महिला कां0 पूजा चौहान थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- बिलरियागंज
दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व घटना विवरण -

दिनांक 04.05.2024 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहीर दी कि विपक्षी अविनाश शर्मा उर्फ अभिनाश पुत्र हरिहर शर्मा सा0 तोहफापुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री को शादी का झांसा देकर कई बार शारिरीक सम्बन्ध बनाया, शादी करने की बात कहने पर अभियुक्त द्वारा गाली गुप्ता देते हुए शादी से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/24 धारा 376/504/506 भादवि. व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट. बनाम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 09.05.2024 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अविनाश शर्मा उर्फ अभिनाश पुत्र हरिहर शर्मा निवासी तोफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम तोफापुर पोखरा पुलिया के पास से समय करीब सुबह 08.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 135/2024 धारा 376/504/506/ भादवि 3(1)द,3(1)ध, व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अविनाश शर्मा उर्फ अभिनाश पुत्र हरिहर शर्मा सा0 तोहफापुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. हे0का0 रामनिवास थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना सिधारी
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.05.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मिथलेश पुत्र राजेन्द्र राम निवासी टेउंगा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतुस 315 बोर के साथ समय करीब 20.30 बजे डेन्टल कालेज के पास बह्दग्राम इटौरा से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-162/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 162/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- मिथलेश पुत्र राजेन्द्र राम निवासी टेउंगा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी –

1-एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी इटौरा थाना सिधारी आजमगढ़

2.हे0कां0 अशोक पाल थाना सिधारी आजमगढ़

थाना – अहरौला
अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.05.2024 को उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति राजन कुमार पुत्र राजू उम्र 28 वर्ष निवासी कस्बा माहुल वार्ड नं0 03 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतुस .315 बोर को बरामदपुर पुलिया से समय सुबह 07.00 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय - मु0अ0सं0 192/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्याया0 किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 192/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. राजन कुमार पुत्र राजू उम्र 28 वर्ष निवासी कस्बा माहुल वार्ड नं0 03 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी– एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतुस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 80/21 धारा 308/323/324/325/504/506 भादवि0 थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 418/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 580/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 73/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना पवई आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 88/22 धारा 41/411/413/414/420/467/468/471 भादवि0 थाना फूलपुर आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 235/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना फूलपुर आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 302/23 धारा 34/411/413/414/420/467/468/471 भादवि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री रंजन कुमार साव, हे0का0 हरिशचन्द्र भाष्कर तथा हे0का0 विमलेश तिवारी थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना – मेंहनाजपुर
अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 01.05.24 को वादिनी मुकदमा थाना मेंहनाजपुर जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 29.4.24 को सुबह करीब 07.00 वजे वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष जो गाँधी इण्टर कालेज कूवा मेंहनाजपुर आजमगढ मे एडमीशन हेतु गई थी लेकिन शाम तक घर नही आयी हम लोग नात रिश्तेदारी काफी खोज बीन किये लेकिन नही मिली मुझे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी लडकी को बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/24 धारा 363,366 भादवि वादिनी नशीबुन बेगम पत्नी इसरार अहमद ग्राम रोवापार थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार के द्वारा की जा रही है। बयान पीडिता 161 व 164 सीआरपीसी व अन्य संकलित साक्ष्यो से मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र अनिल यादव ग्राम रामपुर दिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 09.05.24 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र अनिल यादव ग्राम रामपुर दिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली को जियापुर वाच टावर के पास समय करीब 06.50 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 64/24 धारा 363,366 भादवि थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 64/24 धारा 363,366 भादवि थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:- अभिषेक यादव पुत्र अनिल यादव ग्राम रामपुर दिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़
2. हे0का0 सुधीर शर्मा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- कन्धरापुर

05 शातिर अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

दिनांक 27.07.2023 को आवेदक रुद्रांश राय पुत्र श्री विनोद राय ग्राम मधुबन थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि अपना मौजा विमती व मौजा अहिबरनपुर व मौजा शिबली परगना निजामाबाद तहसील सदर जनपद आजमगढ़ की जमीन के क्रय से सम्बंध में 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार, 2.शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फार, 3.अन्जुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम ,4.अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार तथा 5.अब्दुल कुद्दूश पुत्र अब्दुल सत्तार मोहल्ला सा0 420 बाज बहादुर (जालन्धरी) शहर व थाना कोतवाली आजमगढ़ से बातचीत हुई और उपरोक्त जमीन की विक्रय धनराशि कुल एक करोड़ रुपये में तय हुई जमीन विक्रय की बात प्रार्थी के आवास उपरोक्त पर हुई। प्रार्थी ने बातचीत के अनुसार तथा उपरोक्त लोगो के मांग के अनुसार सितम्बर 2017 से विभिन्न तिथियो में शहशांह ,अन्जुम आरा , अब्दुल सलाम ,अब्दुल कुद्दूश तथा उनकी फर्म नेहा फर्नीचर के एकाउन्ट में जरिये RTGS व चेक मु0 कुल रकम रु0 6292250/- दे दिया 1. मौजा विमती में गाटा संख्या 285 मि0/192 कड़ी, 287 मि0/64 कड़ी , 288 मि0/96कड़ी , 289मि0/96 कड़ी , 290मि0/64 कड़ी, 343मि0/14 कड़ी, 2. मौजा अहिबरनपुर मे गाटा संख्या 74/5 कड़ी 3. मौजा शिवली में गाटा संख्या 410मि0/96 कड़ी को क्रय करने के लिये कुल 6292250/रु0 उपरोक्त लोगो को देने के बाद मै प्रार्थी प्रयास करने लगा कि उपरोक्त लोग रजिस्ट्री आफिस में चलकर एग्रीमेन्ट / रजिस्ट्री कर दे और कहा कि यदि आप लोग बैनामा करेंगे तो शेष पैसा वही दे दिया जायेगा वार्ता के दौरान उपरोक्त सभी लोग उग्र होकर मार-पीट करने के लिये आमादा हो गये। इस तरह अभियुक्तों षडयंत्र के तहत जालसाजी करके वादी रूद्रांश राय का पैसा हड़पना चाहते है वार्ता के दौरान उन लोगों ने प्रार्थी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया उक्त के सम्बन्ध में वादी रूद्रांश राय के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 195/2023 धारा 420/406/504/506 भादवि बनाम अभियुक्तगण 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार आदि 05 नफर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

➡ वादी मुकदमा द्वारा तय की गई भूमि का एग्रीमेन्ट कराये जाने सम्बन्धित कागजात एंव सम्बन्धित खतौनी मे हेरा फेरी किए जाने का अभिलेख उपलब्ध कराया गया जिसका सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराते हुए अभियोग में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 16.11.2023 को धारा 467/468/471 भादवि की वढोत्तरी की गई तथा उक्त अभियोग की विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420/406/504/506/467/468/471 भादवि मे सम्पादित की गयी एंव अभियुक्त अब्दुल कुद्दूस पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार निवासी जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दिनांक 21.11.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा शेष वांछित अभियुक्तगण 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार 2. शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फर 3.अन्जुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम 4. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासीगण 420 बाज बहादुर (जालन्धरी) शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 01.12.2023 को मा0 न्यायालय से NBW व धारा 82 सीआरपीसी दिनांक 05.01.2024 को प्राप्त कर तामिला/कार्यवाही कराया गया इसके बावजूद भी अभियुक्तगण उपरोक्त बादस्तूर फरार चल रहे है।

➡फरार अभियुक्त 1.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार 2. शहंशाह पुत्र अब्दुल गफ्फर 3.अन्जुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम 4. अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार निवासीगण जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के सुरागरसी पतारसी जारी रखते हुए मफरूरी मे आरोप पत्र तथा गिरफ्ताशुदा अभियुक्त अब्दुल कूद्दूस पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार निवासी जालन्धरी शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध आरोप पत्र सख्या 41/2024 दिनांक 26.02.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

➡उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 30.04.24 को गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में थाना कन्धरापुर द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **दिनांक 08.05.24 को उपरोक्त नामजद 05 अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 134/-2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर गैंगेस्टर की कार्यवाही** की गयी है।